राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः प.135/एनपीएस/जनरल/2011/6508-7408 दिनांक 17/2/2012

कार्यालय निर्देश

विषयः— नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के सहअंशदान के आहरण के संबंध में।

विभाग द्वारा नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत प्राप्त कटौतियों के मिलान करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस की जाती रही है । योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के अंशदान एवं राजकीय अंशदान के मिलान नहीं हो पाने के मुख्य कारण पृथक–पृथक बिल होना, दोनों बिलो को कई बार एक साथ कोष कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करना, राजकीय अंशदान हेतु बजट का अभाव होना एवं कोष कार्यालय द्वारा दोनों अंशदानो को लेखो में अलग अलग लेखांकित करना रहा है। योजना के अन्तर्गत समस्त कटौतियों के विवरण को केन्द्रीय रिकोर्ड कीपिंग एजेन्सी (NSDL)के वेब पोर्टल पर अपलोड करने एवं राशि ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित करने के लिए दोनों अंशदानों का मिलान होना अतिआवश्यक है इसके अभाव में राशि समय पर ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित किया जाना संभव नहीं हो पाता है, परिणामस्वरुप विलम्ब अवधि के लिए अंशदाता को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होने की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है।

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय प्रस्ताव पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि माह मार्च 2012 (देय अप्रेल 2012) एवं इसके पश्चात् वेतन बिलो के साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अब राजकीय सह अंशदान हेतु पृथक से बिल नहीं बनाया जाएगा। वित्त राजस्व विभाग के पत्र प–4 (12) वित्त/राजस्व/04 पार्ट II दिनांक 15.2.12 में प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत, सभी संबंधित कर्मचारियों का राजकीय अंशदान इस विभाग के जिलाधिकारियों (डीटीओ) द्वारा एकमुश्त आहरित किया जायेगा । इस नवीन व्यवस्था में आहरण एवं बितरण अधिकारी, केवल कर्मचारी के वेतन बिल से नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान की निर्धारित राशि की कटौती करने के लिए ही उत्तरदायी होंगे, उन्हें अब राजकीय अंशदान का पृथक बिल बना कर कोष कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यक्ता नहीं रहेगी ।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा सभी विभागो के कर्मचारियों के नवीन पेंशन योजना के राजकीय अंशदान के एकमुश्त आहरण हेतु राज्य बजट में निम्न नवीन बजट मद खोला गया है:–

2071 – पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृति हित लाभ
01 – सिविल
117 – निर्धारित अंशदान की पेन्शन योजना में सरकार का अंशदान
(01) – निर्धारित अंशदान की पेन्शन योजना में सरकार का अंशदान
89 – अंशदायी पेन्शन योजना में सरकार का अंशदान

पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी कार्यालय निर्देश कमांक प.137/एनपीएस/जनरल/2011–12 /2227–73 दिनांक 08.09.2011 के पृष्ठ संख्या–3 के बिन्दु संख्या–4 में उल्लिखित बजट मद 2235–60–800–(02)–{02}–89 सहवन से अंकित हो गया था, उसके स्थान पर उपरोक्त मद पढ़ा जावे।

उपरोक्त वर्णित नवीन बजट मद से राशि आहरित करने के लिए, कोष कार्यालय से प्राप्त कर्मचारियों के अंशदान की सूचना के आधार पर समान राजकीय अशंदान का विभागीय जिलाधिकारी द्वारा बिल बना कर कोष कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा एवं कोष कार्यालय से राजकीय अंशदांन की राशि का बिल पारित करवा कर चैक विभागीय जिलाधिकारी के नाम जारी कराया जायेगा, जिसे जिला कार्यालय के नवीन पेंशन योजना के बैंक खाते में उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को आवश्यक रुप से जमा कराया जायेगा एवं तत्पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अंशदान का विवरण एनएसडीएल के वेब पोर्टल पर अपलोड कर राशि ट्रस्टी बैंक को निर्धारित समय सीमा में हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय अंशदान की राशि कोष कार्यालय से आहरित करते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाएगा:–

1– इस विभाग के जिला कार्यालय द्वारा पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों का सहअंशदान उक्त मद से आहरित नहीं किया जाएगा। पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों का नियोक्ता का अंशदान संबंधित संस्था द्वारा ही भुगतान किया जायेगा जिसके लिए, संबंधित बजट मद में ही राज्य सरकार द्वारा "ग्रांट इन एड" के रूप में सहअंशदान का बजट प्रावधान किया जाता रहेगा। पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा उनके कर्मचारियों के दोनों अंशदानों की राशि का चैक एवं कर्मचारी के अंशदान एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि पृथक पृथक दर्शाते हुए कटौती पत्र प्रत्येक माह इस विभाग के जिला कार्यालय को भिजवाया जायेगा ।

2– अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारेयों का राजकीय सहअंशदान उपरोक्त वर्णित मद से ही उपनिदेशक एनपीएस (डीटीओ एआईएस) द्वारा आहरित किया जाएगा, अतः विभागीय परिपत्र प.138/एनपीएस/

एआईस/2010/5700 दिनांक 01.02.2012 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3– जो कर्मचारी राजकीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं उनका राजकीय सहअंशदान संबंधित संस्था द्वारा ही देय होगा एवं संस्था द्वारा ही उक्त राशि का विवरण निर्धारित प्रकिया अनुसार सीआरए के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जा कर राशि ट्रस्टी बैंक को भिजवाई जायेगी । जो संस्था सीआरए के साथ पंजीकृत नहीं है उनकी दोनों अंशदानों की राशि का चैक विभागीय जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाकर तदानुसार डेटा अपलोड कर राशि ट्रस्टी बैक को भिजवाई जायेगी ।

अतः समस्त विभागीय जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशो की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें । समस्त कोषाधिकारी भी यह सुनिश्चित करें कि माह मार्च 2012(देय अप्रेल 2012) एवं इसके पश्चात् वेतन बिलों के साथ किसी भी आहरण एवं वितरण अधिकारी से एनपीएस योजनान्तर्गत राजकीय अंशदान की राशि का कोई भी बिल स्वीकार/पारित नहीं करें, क्योंकि इस राशि का एकमुश्त आहरण विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा ही किये जाने की नवीन व्यवस्था लागू की गयी है ।

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.135/एनपीएस/जनरल/2011/6508-7408 दिनांक 17.2.2012

प्रतिलिपिः–

1– विशिष्ट शासन सचिव, वित्त(व्यय) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3– निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त निर्देशों की सख्त पालना करने हेतु उनके स्तर से भी आवश्यक निर्देश कोषाधिकारियों को जारी कराने का कष्ट करें ।
4– समस्त संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग––––
5– समस्त कोषाधिकारी,जिला––––
6– समस्त उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग––––
7– प्रधान सम्पादक, लेखाविज्ञ, लालकोठी, जयपुर।
8– ए.सी.पी., राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, राज0 जयपुर।

17.2.12
अतिरिक्त निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,
राजस्थान जयपुर